प्रारंभिक परीक्षा

मर्डर हॉर्नेट(Murder Hornets)

संदर्भ

संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि विभाग (USDA) द्वारा मर्डर हॉर्नेट/नॉर्दर्न जाइंट हॉर्नेट का उन्मूलन घोषित कर दिया गया है। इसे पहली बार 2019 में वाशिंगटन राज्य में कनाडाई सीमा के पास देखा गया था।

नॉर्दर्न जायंट हॉर्नेट के बारे में -

- **यह विश्व की सबसे बड़ी हॉर्नेट प्रजाति है।**
- यह उत्तरी भारत, कोरियाई प्रायद्वीप और जापान सहित एशिया के उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण पहाड़ी क्षेत्रों का स्थानिक है।
- **विशेषताएँ**:
    - ये घरेलू मधुमक्खियों के आकार से लगभग 4 गुना बड़ी होती हैं।
    - **दिखावट**: बड़ा नारंगी सिर, काली भूरी आँखें। गहरे भूरे रंग का वक्ष और उदर, पीली-नारंगी धारियों वाली।
    - **भूमिगत घोंसले बनाती हैं**, आमतौर पर परित्यक्त कृंतक बिलों में।
- **हॉर्नेट और वैस्प (ततैया) में अंतर**:
    - ततैया और हॉर्नेट के बीच मुख्य अंतर आकार और रंग का है। ततैया, हॉर्नेट से आकार में छोटी होती हैं।
    - ततैया के छल्ले काले और पीले होते हैं, जबकि सींगों के छल्ले काले और सफेद होते हैं।

'मर्डर हॉरनेट्स' ख़तरा क्यों हैं?

- **परागणकों पर प्रभाव**:
    - यह केवल 90 मिनट में पूरे मधुमक्खी के छत्ते को नष्ट करने में सक्षम है।
    - हॉर्नेट्स एक **वध चरण** (**slaughter phase**) में प्रवेश कर सकती हैं, जहाँ वे मधुमक्खियों का सिर काटकर पूरे छत्ते को मार देती हैं। इसके बाद हॉर्नेट्स छत्ते की रक्षा अपने बच्चों को खिलाने के लिए करती हैं।
    - कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक देशी परागणकों को खतरा।
- **मानवीय ख़तरा**:
    - इनका डंक मधुमक्खी पालकों के सूट को भेद सकता है, जिससे मधुमक्खी के डंक से सात गुना ज़्यादा ज़हर निकलता है। वे कई बार डंक मार सकते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है।

- **आक्रामक चिंताएँ**: गैर-स्थानीय क्षेत्रों में, हॉर्नेट देशी प्रजातियों का शिकार करके पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर सकता है। यह खाद्य संसाधनों के लिए स्थानीय शिकारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - संयुक्त राज्य अमेरिका ने 'मर्डर हॉर्नेट्स' का उन्मूलन क्यों और कैसे किया?**

हम खुद को धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के परिदृश्य में पाते हैं

संदर्भ

हाल के एक बयान में मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य नागेश कुमार ने कहा कि, भारत धीमी वृद्धि-उच्च मुद्रास्फीति परिदृश्य में है, जिसका मुख्य कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में महत्वपूर्ण भार के साथ खाद्य कीमतें हैं।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी(Stagflation) के बारे में -

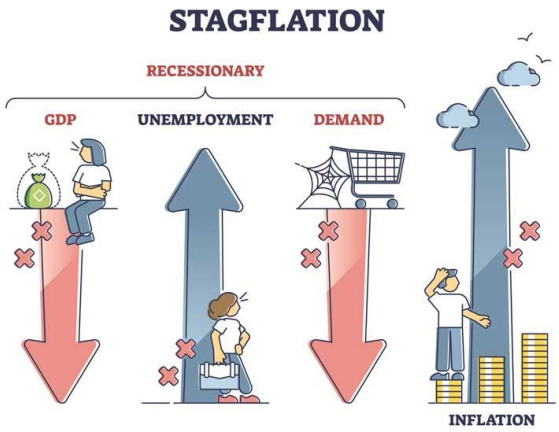

- **यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, धीमी आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी शामिल है।**
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी के आर्थिक प्रभाव:** क्रय शक्ति में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, निवेश में कमी, मजदूरी मूल्य सर्पिल आदि।
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी के कारण:**
    - **आपूर्ति पक्ष के झटके:** तेल जैसे आवश्यक संसाधनों की कीमत में अचानक वृद्धि से उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास के बिना मुद्रास्फीति हो सकती है। **उदाहरण के लिए** 1970 का तेल संकट।
    - **खराब आर्थिक नीतियां:** गलत मौद्रिक या राजकोषीय नीतियां भी मुद्रास्फीतिजनित मंदी में योगदान कर सकती हैं।
    - **अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कठोरता:** मुद्रास्फीतिजनित मंदी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण भी हो सकती है, जैसे श्रम बाजार की कठोरता (श्रमिकों को काम पर रखने और निकालने में कठिनाई), तकनीकी प्रगति का अभाव या संसाधनों का अकुशल आवंटन।
- **मुद्रास्फीतिजनित मंदी से निपटने के लिए नीतिगत उपाय:**
    - **आपूर्ति पक्ष सुधार:** श्रम बाजार में लचीलापन बढ़ाना, विनियमन कम करना, बुनियादी ढांचे में निवेश करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना आदि।
    - **लक्षित राजकोषीय नीतियाँ:** आवश्यक वस्तुओं के लिए सब्सिडी प्रदान करना, निम्न आय वाले परिवारों पर करों को कम करना, प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
    - **मौद्रिक नीतियाँ:** केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

संबंधित शर्तें

- **मुद्रास्फीति(Inflation)**: यह अर्थव्यवस्था में समय की अवधि में कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को संदर्भित करता है।
- **अपस्फीति(Deflation)**: समय की अवधि में कीमतों के सामान्य स्तर में गिरावट को संदर्भित करता है। (मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर)
- **अवस्फीति(Disinflation)**: मुद्रास्फीति की दर में कमी

स्रोत:

- द हिन्दू - 'हम खुद को धीमी वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के परिदृश्य में पाते हैं'

नई समुद्री केबलें भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी

संदर्भ

भारत दो नई प्रणालियों के साथ अपने समुद्र के नीचे केबल नेटवर्क का विस्तार कर रहा है।

भारत के समुद्री केबल नेटवर्क का विस्तार -

- भारत दो नई प्रणालियों, **इंडिया एशिया एक्सप्रेस(IAX) और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस(IEX) के साथ अपने समुद्री केबल नेटवर्क को बढ़ा रहा है**, जिन्हें अगले तीन महीनों में लॉन्च किया जाएगा।
- IAX चेन्नई और मुंबई को सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा, जबकि IEX इन शहरों को फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से जोड़ेगा।
- कुल 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली ये केबलें चाइना मोबाइल के निवेश से रिलायंस जियो के स्वामित्व में हैं।
- **सबमरीन केबल का महत्व:**
    - वैश्विक संचार के लिए सबमरीन केबल महत्वपूर्ण हैं, वे 99% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक का वहन करती हैं।
    - वे वाणिज्य, वित्तीय लेनदेन, सरकारी गतिविधियों, डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को सक्षम बनाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)

- **यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो वैश्विक दूरसंचार नेटवर्क और सेवाओं का समन्वय करती है। (ITU 1947 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गई)।**
- ITU की **स्थापना-1865** में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के साथ हुई थी।(मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड)।

सबमरीन केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय

- **यह सबमरीन केबलों के लचीलापन में सुधार के लिए ITU और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC) के बीच एक साझेदारी है।**
- इस निकाय में विश्व भर के 40 सदस्य शामिल हैं, जिनमें मंत्री, नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और वरिष्ठ दूरसंचार विशेषज्ञ शामिल हैं।
- भारत के दूरसंचार सचिव भी इस निकाय का हिस्सा हैं।

स्रोत:

- द हिंदू - भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नई अंडरसी केबल्स

समाचार में स्थान

लीबिया

- बेनगाजी स्थित लीबिया सीमेंट कंपनी में अनुबंध उल्लंघन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सोलह भारतीय श्रमिकों को "जेल जैसी परिस्थितियों" में रखा गया है।

- **अवस्थिति:** उत्तरी अफ्रीका में स्थित, उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ।
- **सीमावर्ती देश:** मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया।
- **प्रमुख पर्वत:** नफ़ुसा और जेबेल अख़दर।
- **रेगिस्तान:** लीबिया का अधिकांश भाग लीबियाई रेगिस्तान (सहारा रेगिस्तान का हिस्सा) से ढका हुआ है।
- **महत्वपूर्ण बंदरगाह:** बेंगाजी, मिसराता, डर्ना और **त्रिपोली (राजधानी)।**
- **तथ्य:**
  - **लीबिया में कोई स्थायी नदी नहीं है। लीबिया का 97% से अधिक ताज़ा पानी भूजल से आता है।**
  - यह विश्व में सर्वाधिक जल-संकट वाले देशों में से एक है।

स्रोत:

- [द हिंदू - लीबिया में फंसे भारतीय श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास जारी: विदेश मंत्रालय]

जॉर्जिया

- जॉर्जिया के गुडौरी में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण ग्यारह भारतीयों की मृत्यु हो गई है।

- **अवस्थिति:** दक्षिण काकेशस के पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में स्थित, पश्चिम में काला सागर से घिरा हुआ।
- **सीमावर्ती देश:** रूस, अज़रबैजान, आर्मेनिया और तुर्की।
- **प्रमुख नदियाँ:** इंगुरी, रिओनी और कोडोरी।
- **संघर्ष क्षेत्र:** अब्खाज़िया, दक्षिण ओसेशिया और अजरिया।
- **गुडौरी:** यह जॉर्जिया में एक स्की रिसॉर्ट और पर्वतीय शहर है जो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग के लिए जाना जाता है।

काकेशस पर्वत के बारे में

- **देश:** रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान तक फैला हुआ।
- **उच्चतम बिंदु:** माउंट एल्ब्रुस (5,642 मीटर), यूरोप की सबसे ऊंची चोटी।
- **महत्व:**

	○ यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक बाधा के रूप में कार्य करता है। ○ अद्वितीय वनस्पतियों और जीव-जंतुओं के साथ जैव विविधता का हॉटस्पॉट। ○ पर्यटन और शीतकालीन खेलों के लिए लोकप्रिय। **स्रोत:** • इंडियन एक्सप्रेस - होटल हादसे की छाया में

समाचार संक्षेप में

किसान कवच

- **यह एक कीटनाशक रोधी बॉडीसूट है जिसे किसानों को कीटनाशकों के संपर्क के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**
- **द्वारा विकसित:** बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल (**BRIC-inStem)** ने सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से।
- किट में एक ट्राउजर, पुलओवर और 'ऑक्सीम फैब्रिक' से बना एक फेस-कवर शामिल है जो छिड़काव के दौरान कपड़े या शरीर पर छिड़के जाने वाले किसी भी सामान्य कीटनाशक को रासायनिक रूप से विघटित कर सकता है। यह रसायनों को त्वचा में जाने से रोकता है।
- किसान कवच का कपड़ा न्यूक्लियोफिलिक मध्यस्थता हाइड्रोलिसिस के माध्यम से संपर्क पर कीटनाशकों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे कीटनाशक-प्रेरित विषाक्तता और घातकता को रोका जा सकता है।
    - न्यूक्लियोफिलिक मध्यस्थता हाइड्रोलिसिस एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया है जहां पानी एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करता है और एक कार्बनिक बंधन पर हमला करता है

स्रोत:

- पीआईबी - भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडीसूट

D-8 आर्थिक सहयोग संगठन

- **D-8 बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक संगठन है।**
    - मिस्र के काहिरा में आयोजित नवीनतम शिखर सम्मेलन में, **अज़रबैजान D-8 के नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।**
- **इसकी स्थापना 1997 में इस्तांबुल घोषणा के माध्यम से की गई थी।**
- इसका सचिवालय इस्तांबुल, तुर्की में स्थित है।
- **उद्देश्य:**
    - वैश्विक अर्थव्यवस्था में सदस्य देशों की स्थिति में सुधार करना
    - अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाना
    - जीवन स्तर में सुधार करना।

स्रोत:

- द हिंदू - यूनुस, शरीफ ने 1971 के मुद्दों को 'हमेशा के लिए' निपटाने पर चर्चा की

संपादकीय सारांश

भारत-चीन संबंध और सीमा वार्ता

संदर्भ

भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों (SR) की 23वीं बैठक बीजिंग में आयोजित हुई।

पृष्ठभूमि

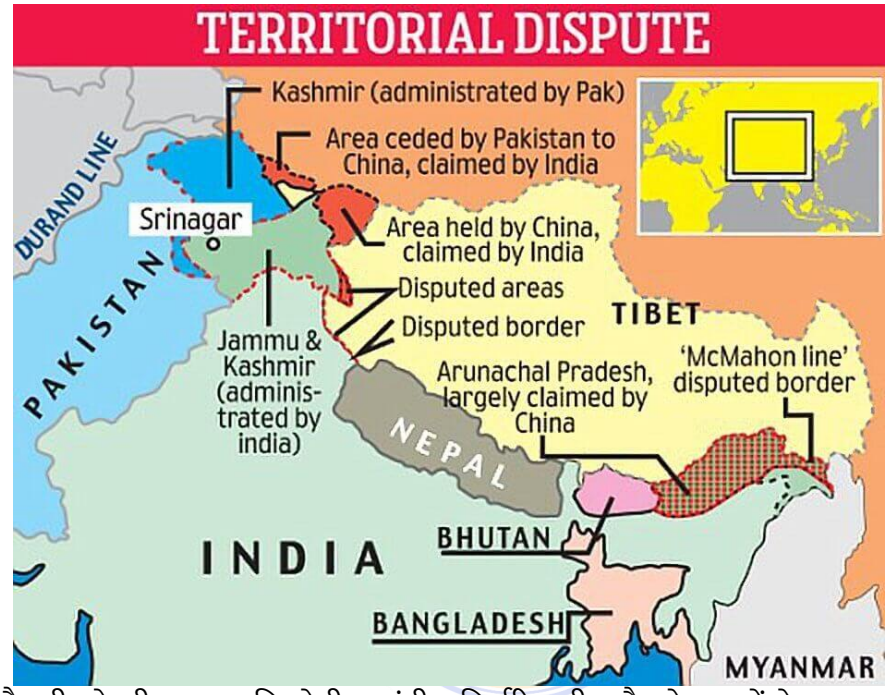

- भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी अनिर्धारित सीमा है, जो दशकों से टकराव का कारण रही है।
- इसके परिणामस्वरूप 1962 में संक्षिप्त किन्तु खूनी युद्ध हुआ तथा उसके बाद से कई बार टकराव हुआ।
- हालाँकि, 1993 और 2013 के बीच हस्ताक्षरित कई समझौतों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हुए।
- यह युद्धविराम तब टूट गया जब चीन ने अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर हजारों की संख्या में सैनिक और हथियार पहुंचा दिए, जिससे नई दिल्ली आश्चर्यचकित रह गई।
- अचानक से इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने तुरंत ही चीन द्वारा तैनात की गई संख्या के बराबर सेना जुटा ली।
- अक्टूबर 2024 की घोषणा के बाद, भारत और चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया, अर्थात वे आमने-सामने की स्थिति से पीछे हट गए।

क्या आप जानते हैं?

3488 किमी भारत-चीन सीमा से संबंधित विवाद के समाधान के लिए 2003 में विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र की स्थापना की गई थी। इसे 22 बार बुलाया गया, आखिरी बैठक 2019 में हुई थी।

23वीं विशेष प्रतिनिधि बैठक में भारत और चीन का रुख

भारत का रुख

- **टकराव की तरफ ध्यान**: 2020 में शुरू हुए सीमा तनाव का स्पष्ट संदर्भ।
- **विशिष्ट परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना**:
  - नई गश्त व्यवस्था पर जोर दिया गया।
  - कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर प्रकाश डाला गया।
  - कैलाश मानसरोवर यात्रा को पुनः शुरू करने, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करने और सीमा व्यापार का उल्लेख किया गया।
- **सीमा प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण**: शांति बनाए रखने के लिए राजनयिक और सैन्य तंत्रों के बीच समन्वय पर बल दिया गया।
  - सीमा कर्मियों के बीच प्रत्यक्ष आदान-प्रदान को बढ़ावा देने से परहेज किया गया, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थापित नो-पेट्रोलिंग बफर जोन को दर्शाता है।
- **मौजूदा समझौतों का संदर्भ देने में अनिच्छा:** राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 2005 के समझौते पर जोर नहीं दिया गया।

2005 राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर समझौता

- 11 अप्रैल 2005 को हस्ताक्षरित
- यह समझौता विशेष प्रतिनिधि (SR) तंत्र का परिणाम था।

समझौते की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य और संदर्भ**: इस समझौते का उद्देश्य सीमा प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है, तथा यह सुनिश्चित करना है कि मतभेदों से समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  - यह आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित रचनात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **मूल सिद्धांत:**
  - सीमा संबंधी मतभेदों से समग्र द्विपक्षीय विकास में बाधा नहीं आनी चाहिए तथा दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण परामर्श के माध्यम से इनका समाधान करना चाहिए।
  - इसमें बातचीत में समानता पर जोर देते हुए, पारस्परिक सम्मान पर आधारित निष्पक्ष और उचित समाधान की बात कही गई है।
- **पैकेज निपटान दृष्टिकोण:** समझौते में "पैकेज निपटान" की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसका अर्थ है कि सीमा विवाद के सभी पहलुओं पर अलग-अलग विचार करने के बजाय सामूहिक रूप से विचार किया जाना चाहिए।
  - यह दृष्टिकोण पूर्ववर्ती क्षेत्र-दर-क्षेत्र वार्ताओं से भिन्न है।
- **हितों पर विचार:** वार्ता के दौरान ऐतिहासिक साक्ष्य, राष्ट्रीय भावनाएं, व्यावहारिक कठिनाइयां और सीमावर्ती क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
  - सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लोगों के हितों की भी रक्षा की जानी है।

चीन का रुख

- **समाधान का मूल्यांकन**: सीमा-संबंधी मुद्दों पर हुई प्रगति की सकारात्मक समीक्षा की गई।
- **समझौतों का संदर्भ**: 2005 के समझौते का हवाला दिया गया, लेकिन इसके बार-बार उल्लंघन को देखते हुए इसे कम महत्व दिया गया।
- **सामरिक परिप्रेक्ष्य**: तनाव कम करने की दिशा में एक कदम के रूप में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से संतोष व्यक्त किया गया।

बैठक का निष्कर्ष

- **प्रगति पर प्रकाश डाला गया**: दोनों पक्षों ने सैनिकों की वापसी और नई गश्त व्यवस्था पर कुछ प्रगति को स्वीकार किया।
    - निरंतर कूटनीतिक और सैन्य समन्वय की आवश्यकता पर सहमति हुई।
- **अनसुलझे मुद्दे**: तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कदम या समयसीमा पर सहमति नहीं बनी।
    - समझौतों की अपेक्षाओं और व्याख्याओं में लगातार मतभेद स्पष्ट रहे।
- **व्यापक निष्कर्ष**: भारत ने तनाव कम करने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया, जिससे शीघ्र समाधान की उम्मीद कम हो गई।
    - चीन सैनिकों के पीछे हटने की धीमी गति से संतुष्ट दिखाई दिया, जिसे वह रणनीतिक लाभ के रूप में देखता है।

स्रोत: **इंडियन एक्सप्रेस: दो कदम आगे, एक कदम पीछे**

इतिहासकारों को ही अवशेषों की खोज करनी चाहिए, कट्टरपंथियों को नहीं

संदर्भ

- आमतौर पर ऐतिहासिक स्थलों पर खुदाई पुरातत्वविदों या इतिहासकारों द्वारा लुप्त सभ्यताओं, प्राचीन शहरों या पौराणिक घटनाओं के साक्ष्य को उजागर करने के लिए की जाती है।
- भारत में, एक धर्म के पूजा स्थलों के नीचे दूसरे धर्म की ऐतिहासिक उपस्थिति के साक्ष्य खोजने के लिए खुदाई की गई है।
- इस तरह की कार्रवाइयों ने धर्मनिरपेक्षता और वैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण जैसे मामलों में।

पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के बारे में -

- इसे भारत सरकार द्वारा पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को संरक्षित करके सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।

प्रमुख प्रावधान

- **धार्मिक स्थलों की स्थिति (धारा 4):** 15 अगस्त, 1947 को विद्यमान किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र अपरिवर्तित रहेगा।
    - कोई भी कानूनी कार्यवाही ऐसे स्थानों के धार्मिक चरित्र को चुनौती नहीं दे सकती जैसा कि वह उस तिथि को था।
    - **अपवाद:** यह अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होता, जो इसके अधिनियमन के समय चल रहा था।
- **धर्मांतरण पर प्रतिषेध (धारा 3):** किसी पूजा स्थल या उसके किसी भाग का एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में या एक धार्मिक समूह से दूसरे धार्मिक समूह में परिवर्तन प्रतिबन्धित है।
- **उल्लंघन के लिए दंड (धारा 6):** किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को बदलने का प्रयास करने वाले उल्लंघनकर्ताओं को 3 वर्ष तक के कारावास और/या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
- **आवेदन का दायरा:** यह अधिनियम भारत में सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, सिवाय उन धार्मिक स्थलों के जिन्हें सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है या जो 1991 से चल रहे विवादों से संबंधित हैं।

अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने का आधार

- इस अधिनियम को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें तर्क दिया गया है कि यह न्यायिक उपचार के अधिकार को प्रतिबंधित करता है और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार) का उल्लंघन करता है ।
- कटऑफ तिथि के रूप में 15 अगस्त 1947 का चयन मनमाना था।
- यह दावा किया गया है कि यह अधिनियम धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति को समाप्त करता है।

न्यायिक टिप्पणियां और गलत व्याख्याएं

- 2022 में, ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि "एक सर्वेक्षण जरूरी नहीं कि पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ हो।"
- इस मौखिक टिप्पणी की निचली अदालतों द्वारा गलत व्याख्या की गई, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में मस्जिदों के सर्वेक्षण के आदेश दिए गए।
- गलत व्याख्या के परिणामस्वरूप हिंसा हुई, जैसा कि उत्तर प्रदेश के संभल में देखा गया।
- कानूनी तौर पर, 15 अगस्त, 1947 तक पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र पहले से ही स्थापित है।

- नये सर्वेक्षण या उत्खनन अनावश्यक हैं और अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है।
- यह अधिनियम न केवल धर्मांतरण पर रोक लगाता है, बल्कि नए सिरे से धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के प्रयासों पर भी रोक लगाता है।

व्यापक निहितार्थ

इन न्यायिक कार्यवाहियों के निहितार्थ गहन हैं:

- हाल के सर्वेक्षणों के कारण उत्तर प्रदेश के संभल जैसे क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे यह आशंका उत्पन्न हुई है कि ऐसी न्यायिक जांच से ऐतिहासिक शिकायतें पुनः भड़क सकती हैं तथा अशांति फैल सकती है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के प्रबंधन का अधिकार देता है।
    - पूजा स्थलों में सर्वेक्षण या उत्खनन इन अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, जिससे धार्मिक प्रथाओं में न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा हो सकती हैं
- पूजा स्थलों के नीचे मौजूद ऐतिहासिक अवशेष, चाहे वे हिंदू मंदिर हों, बौद्ध विहार हों या जैन तीर्थस्थल हों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अध्ययन के लिए हैं, सांप्रदायिक तनाव को फिर से भड़काने के लिए नहीं।
- न्यायिक गलतियों से झूठे ऐतिहासिक आख्यानों को बढ़ावा मिलने और सांप्रदायिक विभाजन गहराने का खतरा है।

स्रोत: **द हिंदू: इतिहासकारों को अवशेषों की खोज करनी चाहिए, कट्टरपंथियों को नहीं**

प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21-22 दिसंबर 2024 को कुवैत की यात्रा पर जा रहे हैं।
- यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, पिछली यात्रा 1981 में इंदिरा गांधी की थी।

भारत के लिए कुवैत का महत्व -

- **सामरिक महत्व**: फारस की खाड़ी के उत्तरपूर्वी छोर पर स्थित कुवैत की सीमा इराक और सऊदी अरब से लगती है तथा यहां प्रमुख अमेरिकी सैन्य अड्डे भी स्थित हैं।
    - यह खाड़ी क्षेत्र का एकमात्र राजतंत्र है जिसने लोकतंत्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।
    - यह क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने में तटस्थ और मध्यस्थ की भूमिका निभाता है।
- **ऊर्जा साझेदार**: कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है और वह ओपेक का संस्थापक सदस्य है।
    - यह वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता था , जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 3% पूरा करता था।
- **सॉवरेन वेल्थ फंड**: कुवैत का सॉवरेन वेल्थ फंड (KIA) विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा फंड है , जिसका मूल्य 924 बिलियन डॉलर (मार्च 2024) है।
    - KIA ने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से 10 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जो इसकी आर्थिक साझेदारी क्षमता को दर्शाता है।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध**: लगभग 1 मिलियन भारतीय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह बनाते हैं, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान और धन प्रेषण के माध्यम से संबंधों को मजबूत करते हैं।
    - भारत का शैक्षिक प्रभाव महत्वपूर्ण है, कुवैत में 26 सीबीएसई-संबद्ध स्कूल 60,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
- **ऐतिहासिक संबंध**: भारत कुवैत की स्वतंत्रता के बाद 1961 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।
    - भारतीय रुपया 1961 तक कुवैत में वैध मुद्रा थी।

भारत और कुवैत के बीच पिछले संबंध

- **व्यापार संबंध**: वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत लगातार कुवैत के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक के रूप में स्थान बना रहा।
    - भारत कुवैत को कच्चा तेल आयात करता था तथा खाद्यान्न, वस्त्र और अन्य सामान निर्यात करता था।
- **कोविड-19 सहयोग**: भारत ने महामारी के दौरान कुवैत को 2 लाख वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की।
    - कुवैत ने मई 2021 में दूसरी कोविड लहर के दौरान भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर सहित महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की थी।
- **सांस्कृतिक पहल**: भारत महोत्सव (मार्च 2023) और साप्ताहिक 'नमस्ते कुवैत' हिंदी रेडियो कार्यक्रम जैसे आयोजनों ने सांस्कृतिक संबंधों को गहरा किया है।
- **जन-केंद्रित सहयोग**: कुवैत ने जून 2024 में एक आवासीय आग में मारे गए 40 से अधिक भारतीयों के पार्थिव अवशेषों को शीघ्रता से वापस लाने में मदद की।
    - भारतीय श्रमिकों पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है तथा वे कुवैत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा के अपेक्षित परिणाम

- **द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करना:** संबंधों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर।
    - रक्षा सहयोग पर संभावित समझौता।
- **आर्थिक सहयोग:** KIA और भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) के बीच सहयोग पर चर्चा।
    - सामरिक तेल भंडार में कुवैत की भागीदारी की संभावना तलाशना।
- **बुनियादी ढांचा और शिक्षा**: भारत कुवैत की **'विजन 2035'** बुनियादी ढांचा पहल में सहायता कर सकता है, तथा संभवतः आईआईटी, आईआईएम और आधुनिक अस्पतालों जैसे संस्थानों का निर्माण कर सकता है।
- **सतत एवं प्रौद्योगिकी सहयोग**: कुवैत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) में शामिल होना संभावित है।
    - कुवैत के लिए उपग्रहों के प्रक्षेपण सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग।
- **विमानन एवं संपर्कता**: संपर्कता में सुधार के लिए अतिरिक्त एयरलाइन सीट आबंटन के लिए कुवैत के अनुरोध पर विचार करना।
- **भू-राजनीतिक जुड़ाव**: भारत-कुवैत संबंधों में स्थिरता को दूर करना और भारत की समग्र पश्चिम एशिया रणनीति को मजबूत करने के लिए नीतियों को संरेखित करना।

स्रोत: द हिंदू: कुवैत यात्रा के दौरान सोना पाने का मौका

भारत में हाल के समय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

संदर्भ

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और नकद हस्तांतरण योजनाओं ने भारत में महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा शासित लगभग 15 राज्यों ने महिलाओं और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को लक्षित करते हुए बिना शर्त नकद हस्तांतरण के संस्करण लागू किए हैं।

वर्तमान स्थिति

- **व्यापक रूप से अपनाया जाना**: अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित लगभग 15 राज्यों ने महिलाओं को लक्षित करके नकद हस्तांतरण योजनाएँ लागू की हैं। भारत की 60 प्रतिशत महिला आबादी अब इन राज्यों में रहती है।
- **राजकोषीय परिमाण**: लगभग 100 मिलियन महिलाओं को प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण प्राप्त होता है, जिसकी राशि लगभग 25 बिलियन डॉलर (₹2 लाख करोड़) है, जो राज्य सरकारों के संयुक्त वार्षिक राजस्व का लगभग 10% है।
- **DBT सफलता**: 2013 में शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम ने शुरुआत से लेकर अब तक 700 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को सब्सिडी और लाभ के रूप में 5.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है, जिससे लीकेज में काफी कमी आई है।
- **महिलाओं को लक्षित करने वाली योजनाएँ**:
    - **लाड़ली लक्ष्मी योजना (म.प्र.)**: बालिका शिक्षा एवं विवाह के लिए प्रोत्साहन।
    - **केसीआर किट योजना (तेलंगाना)**: गर्भावस्था के बाद महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता।
    - **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना (उत्तर प्रदेश)**: बालिकाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण।

मौद्रिक हस्तांतरण नीतियों के पक्ष में तर्क

- **महिला सशक्तिकरण**: महिलाओं को नकद हस्तांतरण से उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है।
- **गरीबी उन्मूलन**: प्रत्यक्ष नकद सहायता से सबसे गरीब परिवारों को बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है, जिससे घोर गरीबी कम होती है।
- **उपभोग को बढ़ावा**: बिना शर्त नकद हस्तांतरण से घरेलू उपभोग बढ़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है।
    - **उदाहरण के लिए,** आर्थिक **सर्वेक्षण 2022** में कहा गया है कि नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों में ग्रामीण खपत में **10% की वृद्धि हुई है, क्योंकि लाभार्थियों ने भोजन, कपड़े और शिक्षा के लिए धन का उपयोग किया है।**
- **कुशल शासन**: नकद हस्तांतरण से बिचौलियों की गुंजाइश नहीं रहती, जिससे कल्याणकारी वितरण प्रणालियों में भ्रष्टाचार और लीकेज कम होता है।
- **व्यय में लचीलापन**: लाभार्थी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यय को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- **आर्थिक गुणक प्रभाव**: नकद हस्तांतरण अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में खर्च बढ़ाकर स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।

नुकसान या कमियां

- **राजकोषीय बोझ**: भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बहुत अधिक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य के बजट पर दबाव डाल रही हैं, जिससे राज्य के व्यय में लचीलापन कम हो रहा है।
    - **उदाहरण के लिए,** इन योजनाओं के तहत संवितरण 2021 में 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024 में 1,09,554 करोड़ रुपये हो गया।
- **मुद्रास्फीति संबंधी दबाव**: अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में धन डालने से मुद्रास्फीति हो सकती है, जिसका गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- **अल्पकालिक फोकस**: तात्कालिक राजकोषीय लागतें मूर्त हैं, जबकि सशक्तिकरण और गरीबी में कमी जैसे लाभ दीर्घकालिक और अमूर्त हैं।
- **निर्भरता जोखिम**: बिना शर्त स्थानान्तरण से कुछ लाभार्थियों के बीच कार्य प्रयास हतोत्साहित हो सकता है, जिससे सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ सकती है।
- **लक्ष्य निर्धारण में अकुशलता**: लीकेज, गलत पहचान और बहिष्करण त्रुटियों के कारण लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है।
- **संरचनात्मक सुधारों की उपेक्षा**: मौद्रिक हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भरता बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे गहरे मुद्दों से ध्यान भटका सकती है।

आगे की राह

- **संतुलित कार्यान्वयन**: लक्षित विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकदी हस्तांतरण बजट में वार्षिक वृद्धि को 5% तक सीमित रखना।
- **बेहतर लक्ष्य निर्धारण तंत्र**: लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए आधार-पैन लिंकेज और हालिया जनगणना डेटा का लाभ उठाना।
- **पूरक नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करना:** नकद हस्तांतरण को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, जिससे दीर्घकालिक आय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **राजकोषीय अनुशासन**: अतिरिक्त उपकर (जैसे, बुनियादी ढांचा उपकर) से प्राप्त राजस्व को नकद हस्तांतरण के लिए समर्पित करना, तथा राजकोषीय घाटे को 3% के लक्ष्य से नीचे बनाए रखना।
- **आवधिक प्रभाव आकलन**: निवेश पर सामाजिक लाभ (एसआरओआई) को मापने के लिए योजनाओं की वार्षिक स्वतंत्र लेखा परीक्षा शुरू करना।
- **महिला-केंद्रित पहल को प्रोत्साहित करना:** महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूह गतिविधियों के साथ नकद हस्तांतरण को जोड़ना।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस: न्याय गलत हो गया]